पत्रांक :– 14 / कोर्ट–02–05 / 2017 का0 3414 /

**झारखण्ड सरकार,**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

प्रेषक,

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 22.5.18

विषयः– प्रोन्नति के मामले में आरक्षण की सुविधा के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या–WP(S)-3792/2016- अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–27.02.2017 को पारित आदेश के अनुसार झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के द्वितीय परन्तुक के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के द्वितीय परन्तुक निम्न प्रकार है :–

**"परन्तु यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इस धारा के अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किये जाने की व्यवस्था है।"**

उक्त न्यायादेश की समीक्षा के पश्चात् कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–743, दिनांक–25.01.2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रसंगाधीन वाद में अंतिम निर्णय तक प्रोन्नतियाँ बाधित रखने का आदेश संसूचित है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा उक्त वाद में अभी तक कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है, जिसके कारण राज्य में सभी प्रोन्नतियाँ बाधित हैं, जिसके फलस्वरूप प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद रिक्त रहने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही पद रिक्त रहने के बावजूद विभिन्न सेवा संवर्ग के कर्मी प्रोन्नति से वंचित हो रहे हैं।

विदित हो कि WP(S) No.-3792 / 2016 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–27.02.2017 को पारित आदेश द्वारा राज्य कर्मियों के प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करने संबंधी राज्य सरकार के प्रावधान के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। अन्य रिट याचिकाओं यथा 1682 / 2017 एवं 2123 / 2017 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित आदेश निम्नवत् है :–

"The Order dated 27.02.2017 of the court passed in WP(S) No.-3792 of 2016 by no way prohibits the State to fill up the posts on regular basis. The said order can not come in the way of State Government in filling up the posts on regular basis."

मामले में विधिक राय प्राप्त की गयी एवं मामले की समीक्षा के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–743, दिनांक–25.01.2018 को विलोपित कर राज्य के बाधित प्रोन्नतियों को पुनः बहाल किया जाय। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को ही प्रोन्नति में आरक्षण अनुमान्य है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के द्वितीय परन्तुक, जिसके द्वारा प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, का क्रियान्वयन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

चूँकि राज्य में सरकारी पदों में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति को 10% एवं अनुसूचित जनजाति को 26% आरक्षण अनुमान्य है। अतः प्रोन्नति से भरे जाने वाले 36% पदों को तत्काल सुरक्षित रखते हुए शेष 64% पदों पर संवर्गीय वरीयता के अनुसार प्रोन्नति दी जाय। यह प्रोन्नति पूर्णतः औपबंधिक होगी, जो रिट याचिका WP(S) No.-3792/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय से प्रभावित होगी।

विश्वासभाजन,

22.05.18

(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।